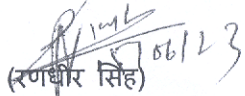


कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 798 /2023 दिनांक:- जून, 15, 2023

:-आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जुलाई- 2023 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सदस्य निम्नवत आदेश निर्गत किये जाते हैं-

क्र0स0	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
1	न्यायलय अध्यक्ष	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दि0 03.07.2023 से 07.07.2023 तक दि0 24.07.2023 से 28.07.2023 तक	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय सदस्य, पीठ-2 लखनऊ अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय सदस्य, पीठ-3 लखनऊ	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	दि0 10.07.2023 से 12.07.2023 तक	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय सदस्य, पीठ-2 कानपुर	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1 कानपुर	पीठ- 1,2,3 व 4 कानपुर	दि0 17.07.2023 से 21.07.2023 तक	सदस्य, पीठ-1 इलाहाबाद सदस्य, पीठ-4 कानपुर	न्यायिक विभागीय
4	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5, व 6 वाराणसी	दि0 10.07.2023 से 14.07.2023 तक दि0 24.07.2023 से 28.07.2023 तक	सदस्य, पीठ-3 वाराणसी सदस्य, पीठ-5 वाराणसी सदस्य, पीठ-3 वाराणसी सदस्य, पीठ-4 वाराणसी	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
5	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	दि0 03.07.2023 से 07.07.2023 तक दि0 24.07.2023 से 28.07.2023 तक	सदस्य, पीठ-1 मेरठ सदस्य, पीठ-5 वाराणसी सदस्य, पीठ- गोरखपुर सदस्य, पीठ-4 कानपुर	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
6	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	दि0 17.07.2023 से 20.07.2023 तक	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय सदस्य, पीठ-2 कानपुर	न्यायिक विभागीय
7	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ- 1 व 2 इलाहाबाद	दि0 10.07.2023 से 14.07.2023 तक	सदस्य, पीठ-1 इलाहाबाद सदस्य, पीठ-2 इलाहाबाद	न्यायिक विभागीय
8	पीठ-झाँसी	पीठ- झाँसी	दि0 10.07.2023 से 13.07.2023 तक	सदस्य, पीठ- झाँसी सदस्य, पीठ-4 कानपुर	न्यायिक विभागीय
9	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	दि0 10.07.2023 से 13.07.2023 तक	सदस्य पीठ-1 मेरठ सदस्य पीठ-2 मेरठ	न्यायिक विभागीय


(रमेश सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 798 /2023 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण।
2. कमिश्नर वाणिज्य कर, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/ पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर)वै0 सहायक मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।